

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संयिका संख्या-6/अ0-03-08/2007

पटना, दिनांक:—

श्री दिवाकर प्रसाद, तत्कालीन राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर सम्प्रति राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 01.07.2023 से 02.07.2023 तक कुल 02 (दो) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री प्रसाद के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-02-298) (दो सौ अठानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-08/2007 822

पटना, दिनांक:— 18/02/25

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), भागलपुर अंचल, भागलपुर/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दिवाकर प्रसाद, राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।